आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी०डी०एस० पुनरीक्षण वाद संख्या –213 / 2022

रबिश चन्द्र पाण्डेय

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
02.05.2023	यह वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 4416 / 2022 में दिनांक–18.08.2022 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया की अध्यक्षता में जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में दिनांक 10.10.2019 को लिये गये निर्णय से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.08.2022 को पारित आदेश का अंश :– **"Let the petitioner make a suitable complaint before the Divisional Commissioner within a period of 30 days, who, on receipt of such complaint, shall after hearing all the parties/stake-holders including the private respondent No. 4, take a final decision within a period of 90 days from the date of receipt/Production of a copy of this order, with respect to the correctness of the decision granting license to private respondent No. 4."** माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में वाद को अधिग्रहित कर संबंधित पक्षों को सविस्तार सुना।	

WEB COPY NOT OFFICIAL

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकान के अनुज्ञप्ति हेतु सभी शैक्षणिक प्रमाण–पत्र एवं कम्प्यूटर प्रमाण–पत्र के साथ आवेदन समर्पित किया गया। दिनांक 29.08.2018 को ऑपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन हुआ जिसमें अपीलकर्ता क्रमांक 01 पर था, परंतु कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित कॉलम में 'नहीं' अंकित था जिसके कारण विपक्षी सं0–03 (श्री ब्रजेश कुमार पाण्डेय) को चयनित किया गया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का आरोप है कि कार्यालय द्वारा अपीलकर्ता के आवेदन से कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रमाण–पत्र जानबुझकर हटा दिया गया ताकि उनका चयन न हो सके। दिनांक 23.11.2019 को अपीलकर्ता द्वारा जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को इस संबंध में शिकायत किया गया परंतु इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

विपक्षी सं0–03 (श्री ब्रजेश कुमार पाण्डेय) के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति के विरूद्ध आवेदक को जिला पदाधिकारी के यहां अपील दायर करना चाहिए था, जबकि अपीलकर्ता ने ऐसा नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में यह वाद चलने लायक नहीं है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि अपीलकर्ता के पास कम्प्यूटर प्रमाण–पत्र एवं मानक के अनुरूप बैंक खाता में राशि उपलब्ध नहीं रहने के कारण मेधा सूची के वरीयता से बाहर कर दिया गया। इस प्रकार जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय नियमानुकूल है एवं यह अपीलवाद खारिज होने योग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह वाद पश्चिम चम्पारण जिलांतर्गत

WEB COPY NOT OFFICIAL

प्रखंड–बगहा–01, पंचायत–मेहुड़ा, कोटि–अनारक्षित हेतु जन वितरण प्रणाली की दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत करने से संबंधित है। जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अपीलकर्ता के पास मानक के अनुरूप बैंक खाता में राशि उपलब्ध नहीं रहने एवं कम्प्यूटर प्रमाण–पत्र नहीं होने के कारण मेधा सूची के वरीयता से बाहर कर दिया गया। विपक्षी सं0–03 (श्री ब्रजेश कुमार पाण्डेय) को कम्प्यूटर का ज्ञान रखने के आधार पर वरीयता होने के कारण चयनित किया गया है।

जहाँ तक अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना कि आवेदन के समय अपीलकर्ता द्वारा कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया है। (जो चेकलिस्ट से भी स्पष्ट होता है), के संबंध में कहना है कि अपीलकर्ता द्वारा समर्पित आवेदन पत्र की कंडिका 1(च) में कम्प्यूटर ज्ञान के सामने 'नहीं' अंकित किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता द्वारा आवेदन के समय कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रमाण–पत्र नहीं था। ***"बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016"*** के कंडिका 9 (v) में अंकित है कि :–

"उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और व्यस्क होगा परंतु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।"

इस प्रकार इस संबंध मे जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय नियमानुकूल है। जिसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत अपीलवाद अस्वीकृत किया जाता है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे। इस आदेश की प्रति सभी संबंधितों को दी जाय एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त।**

WEB COPY NOT OFFICIAL